उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
(CIN: U32201UP1999SGC024928)

संख्या–777 / पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 2017–60–पी / 98(टी0सी0–1), दिनांक 30 जून, 2018

प्रबन्ध निदेशक
पूर्वांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल / मध्यांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी / मेरठ / आगरा / लखनऊ एवं केस्को, कानपुर।

विषयः– उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों एवं केस्को के सेवानिवृत्त / मृत कार्मिकों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति तथा वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश ऊर्जा अनुभाग–02 के आदेश संख्या–07 / 2017 / 1758 / 24–पी–2–17–सा0 (144) / 17, दिनांक 27.12.2017 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को सहित के समस्त पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित दर से देय पेंशन / पारिवारिक पेंशन का लाभ अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1320–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 2017–60–पी / 98(टी0सी0–1), दिनांक 29.12.2017 के माध्यम से आदेश जारी किया गया है।

उक्त आदेश के अनुसार कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के द्वारा उनके पत्र संख्या–पे0नि0 / ऊर्जा विभाग / अनु0–03(विविध) / 2018 / 2878, दिनांक 28.02.2018 तथा पत्र संख्या–पे0नि0 / ऊर्जा विभाग / अनु0–03(विविध) / 2018 / 8382, दिनांक 01.06.2018 द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन की स्वीकृति एवं पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही हेतु उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, ऊर्जा अनुभाग–02 के पत्र संख्या–5 / 2018 / 735 / 24–पी–2–18–सा0(144) / 2017, दिनांक 14.06.2018 **(प्रति संलग्न)** के माध्यम से निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को निम्नवत् स्थित स्पष्ट कराते हुए उसकी प्रति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं अन्य को तत्सम कार्यवाही कराये जाने हेतु उपलब्ध करायी गयी हैः–

	निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के द्वारा उठाये गये बिन्दु–	शासनादेश सं0–5 / 2018 / 735 / 24–पी–2–18–सा0 (144) / 2017, दिनांक 14.06.2018 द्वारा स्पष्ट की गयी स्थिति–
बिन्दु सं0–1	दिनांक 01.01.2018 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त / मृत कार्मिकों के पेंशन / पारिवारिक पेंशन आवेदन हेतु प्रपत्र कौन से होंगे?	सेवानिवृत्त / मृत कार्मिकों के मामले में पेंशन / पारिवारिक पेंशन के लिये आवेदन हेतु वे ही प्रपत्र प्रयोग में लाये जायेगें, जो राज्य सरकार के सेवानिवृत्त / मृत कार्मिकों के सेवा–नैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति हेतु प्रचलन में हैं।
बिन्दु सं0–2	दिनांक 01.01.2018 को अथवा उसके उपरान्त सेवा–निवृत्त / मृत कार्मिकों के पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्रकरण किस अधिकारी के स्तर से पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे एवं पेंशन प्रपत्रों पर किस अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित कराये जाने होंगे?	पेंशन प्रपत्र, यथास्थिति, सम्बन्धित कम्पनी के मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) / महाप्रबन्धक (वित्त) / उप महाप्रबन्धक (वित्त) में से वरिष्ठतम अधिकारी के हस्ताक्षर से अग्रसारित किये जायेंगे। यदि किसी कम्पनी में उपर्युक्त पदधारी अधिकारी उपलब्ध न हों तो उस कम्पनी की लेखा शाखा के वरिष्ठतम अधिकारी के हस्ताक्षर से पेंशन प्रपत्र अग्रसारित किए जाएंगे। पेंशन प्रपत्र अग्रसारण अधिकारी के सम्बन्ध में कम्पनीवार सूचना उनके नमूना अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित सचिव, उ0प्र0 राज्य पावर सेक्टर इम्पलाईज ट्रस्ट के द्वारा पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों (निदेशक, पेंशन / मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन) को प्रेषित की जाएगी।

बिन्दु सं0–3	दिनांक 01.01.2018 को अथवा उसके उपरान्त सेवा–निवृत्त/मृत कार्मिकों के सेवा–निवृत्त /मृत कार्मिक की सेवा का इतिहास किस अधिकारी के स्तर से सत्यापित किया जायेगा?	सेवा–निवृत्त/मृत कार्मिक के सेवा इतिहास का सत्यापन उक्त बिन्दु–2 में उल्लिखित अग्रसारण अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
बिन्दु सं0–4	दिनांक 01.01.2018 को अथवा उसके उपरान्त सेवा–निवृत्त/मृत कार्मिकों के सेवा पुस्तिका में किस अधिकारी के स्तर से किये गये वेतन निर्धारण को मान्यता दी जानी होगी?	सेवा पुस्तिका में अंकित वेतन निर्धारण की शुद्धता की सत्यापन उक्त बिन्दु–2 में उल्लिखित अग्रसारण अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
बिन्दु सं0–5	दिनांक 01.01.2018 को अथवा उसके उपरान्त सेवा–निवृत्त/मृत कार्मिकों के पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा वेतन निर्धारण की जांच किस आधार पर किया जाना होगा तथा कितनी अवधि के वेतन निर्धारण की जांच की जानी होगी?	जिस प्रकार राजकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में सेवा के अन्तिम 34 महीनों के वेतन निर्धारण की जांच पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा की जानी अपेक्षित है, उसी प्रकार विद्युत कम्पनियों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी वेतन निर्धारण की शुद्धता की जांच पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा, सम्बन्धित कार्मिक की सेवा के अन्तिम 34 माहों की अवधि के लिए की जाएगी।
बिन्दु सं0–6	कोषागार से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान होने पर क्या किसी प्रकार का व्यय–भार कारपोरेशन/वितरण कंपनियों से राजकोष में जमा कराया जाना होगा, यदि व्यय–भार राजकोष में जमा कराया जाना होगा तो उक्त व्यय–भार की गणना किस प्रकार तथा किस स्तर से की जानी होगी, साथ ही उक्त व्यय–भार राजकोष में किस प्रकार से जमा कराया जाना होगा?	ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किये जाने वाले अंशदान के संबंध में शासनादेश दिनांक 13.01.2016 (शासन के स्पष्टीकरण पत्र दिनांक–14.06.2018 में अंकित दिनांक 01.01.2016) में आवश्यक व्यवस्था पूर्व में ही की जा चुकी है।
बिन्दु सं0–7	क्या उपरोक्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को उ.प्र. राज्य के बाहर अन्य राज्यों के कोषागार से अपनी पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान आहरित किये जाने का विकल्प उपलब्ध होगा अथवा नहीं?	ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों के सेवा–निवृत्त कार्मिकों को पेंशन का भुगतान वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश के कोषागारों द्वारा प्रदेश के अन्दर बैंको में खुले पेंशन खातों में ही किया जाएगा।
बिन्दु सं0–8	ऊर्जा विभाग के 01.01.2016 के पूर्व के सेवा–निवृत्त/मृत कार्मिको की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सम्बन्धित पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा ही किया जाना होगा, जैसा की राज्य सरकार के दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के सेवा–निवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु व्यवस्था शासनादेश सं0–23/2017/सा–3–329/दस/2017/308/2016 दिनांक 18.07.2017 द्वारा की गयी है?	दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों के अंतिम आहरित वेतन का विभिन्न वेतन आयोगों में प्रचलित वेतनमानों में प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षण तथा इस प्रकार दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेंशन के निर्धारण का कार्य पूर्व की भांति सम्बन्धित ऊर्जा कम्पनी के पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी जिनके स्तर से मूल पी0पी0ओ0 निर्गत है, द्वारा किया जाएगा।
बिन्दु सं0–9	दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक सेवा–निवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों का निस्तारण।	दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक सेवा–निवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों का निस्तारण पूर्व व्यवस्था की भांति ऊर्जा क्षेत्र की सम्बन्धित कम्पनी के पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी जैसा उक्त बिन्दु–8 में उल्लिखित है, के द्वारा किया जाएगा।
	उक्त के अतिरिक्त निदेशक, पेंशन निदेशालय, लखनऊ के द्वारा दिनांक 01.01.18 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्ति कार्मिकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रकरण के सम्बन्ध में यह भी अपेक्षा की गयी है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की सूची (कार्मिक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, सेवानिवृत्ति तिथि सहित) वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के पूर्व अधिकतम फरवरी माह में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी सहित पेंशन भुगतानादेश निर्गतकर्ता अधिकारी को उपलब्ध करा दी जाये ताकि प्राप्त पेंशन प्रकरणों का उक्त सूची से सिस्टम के माध्यम से मिलान हो जाये एवं Fake पेंशन प्रकरणों की सम्भावना न रहे।	

अस्तु आपसे अनुरोध है कि शासन द्वारा उपर्युक्त स्पष्ट की गयी व्यवस्था/प्रक्रिया तथा पेंशन निदेशालय, लखनऊ के द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन का पुनरीक्षण एवं पेंशन स्वीकृति के सापेक्ष पेंशन भुगतान आदेश जारी कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(एस0पी0 पाण्डेय)
निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या–777(1)/पें0एवंआर0/पाकालि/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक/विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियाँ।
7. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ0प्र0।
8. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/(पेंशन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. कार्पोरेशन मुख्यालय समस्त अनुभाग/शिविर।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिO की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. कट फाईल।

संलग्नक : यथोपरि।

आज्ञा से,

21.6.18
(सैयद आरिफ हैदर)
अनु सचिव(पें0एवंआर0)

संख्या- 5 /2018/735/24-पी-2-18-सा0(144)/2017

प्रेषकः

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 14 जून 2018

विषयः- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों, केस्को, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 एवं उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति तथा वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पे.नि./ऊर्जा विभाग/अनु0-3 (विविध)/ 2018/2878 दिनांक 28.02.2018 तथा पत्र संख्या-पे.नि./ऊर्जा विभाग/अनु0-3(विविध) /2018/8382 दिनांक 01.06.2018 में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में मुझे आपको नियमानुसार स्थिति स्पष्ट करने का निदेश हुआ है:-

(1) ऊर्जा क्षेत्र की उपर्युक्त कम्पनियों के सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों के मामले में पेंशन/पारिवारिक पेंशन के लिये आवेदन हेतु वे ही प्रपत्र प्रयोग में लाये जायेंगे, जो राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों के सेवानैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति हेतु प्रचलन में है।

(2) उपर्युक्त ऊर्जा कम्पनियों के सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों के संबंध में पेंशन प्रपत्र, यथास्थिति, संबंधित कम्पनी के मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)/महाप्रबन्धक (वित्त)/उप महाप्रबन्धक (वित्त) में से वरिष्ठतम अधिकारी के हस्ताक्षर से अग्रसारित किये जायेंगें, यदि किसी कम्पनी में उपर्युक्त पदधारी अधिकारी उपलब्ध न हो तो उस कम्पनी की लेखा शाखा के वरिष्ठतम अधिकारी के हस्ताक्षर से पेंशन प्रपत्र अग्रसारित किए जाएंगे। पेंशन प्रपत्र अग्रसारण अधिकारी के संबंध में कम्पनीवार सूचना उनके नमूना अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित सचिव, उ0प्र0, राज्य पावर सेक्टर इम्पलाईज ट्रस्ट के द्वारा पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों (निदेशक, पेंशन/मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन) को प्रेषित की जाएगी।

3- सेवानिवृत्त/मृत कार्मिक के सेवा इतिहास का सत्यापन उप प्रस्तर(2) में उल्लिखित अग्रसारण अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

4- सेवा पुस्तिका में अंकित वेतन निर्धारण की शुद्धता का सत्यापन उप प्रस्तर(2) में उल्लिखित अग्रसारण अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

5- जिस प्रकार राजकीय कर्मचारियों के संबंध में सेवा के अन्तिम 34 महीनों के वेतन निर्धारण की जांच पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा की जानी अपेक्षित है, उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों के कर्मचारियों के संबंध में भी वेतन निर्धारण की शुद्धता की जांच पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा, संबंधित कार्मिक की सेवा के अंतिम 34 माहों की अवधि के लिए की जाएगी।

6- ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किये जाने वाले अंशदान के संबंध में शासनादेश दिनांक 01.01.2016 में आवश्यक व्यवस्था पूर्व में ही की जा चुकी है।

7- ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को पेंशन का भुगतान वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश के कोषागारों द्वारा प्रदेश के अन्दर बैंकों में खुले पेंशन खातों में ही किया जाएगा।

8- दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों के अंतिम आहरित वेतन का विभिन्न वेतन आयोगों में प्रचलित वेतनमानों में प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षण तथा इस प्रकार दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेंशन के निर्धारण का कार्य पूर्व की भांति संबंधित ऊर्जा कम्पनी के पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी जिनके स्तर से मूल पी0पी0ओ0 निर्गत है, द्वारा किया जायेगा।

9- दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों का निस्तारण पूर्व व्यवस्था की भांति ऊर्जा क्षेत्र की संबंधित कम्पनी के पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी जैसा बिन्दु(8) में उल्लिखित है, के द्वारा किया जाएगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-10-यू0ओ0-116/दस-2018 दिनांक 13 जून, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या-5 /2018/735(1)/24-पी-2-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1. समस्त अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन उ0प्र0
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/ अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवनलखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/ पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/ केस्को, कानपुर।
5. निदेशक (वित्त)/मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 /मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, लखनऊ/पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम, वाराणसी/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, आगरा/ पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, मेरठ/ केस्को, कानपुर/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन लि0/ उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
6. वित (सामान्य) अनुभाग-3
7. वित (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-10
8. वित (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
9. ऊर्जा अनुभाग-1/3/निजी निवेश प्रकोष्ठ

आज्ञा से

एस0पी0 सिंह
संयुक्त सचिव